

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री निवासी सशपथ बयान करता/करती हूँ कि :—

1. यह कि मैं उपरोक्त पते का मूल निवासी हूँ ।
2. यह कि मैं नियमित अथवा अंशकालिक नियोजन में कार्यरत नहीं हूँ।
4. यह कि यदि भविष्य में गाइड परिचय पत्र प्राप्त करने के उपरांत जब भी मैं पूर्ण या आंशिक नियोजन (सरकारी या निजी क्षेत्र में नौकरी) प्राप्त करूँगा, तत्समय तत्काल पर्यटन विभाग को सूचित करूँगा और अपना परिचय पत्र विभाग में जमा करा दूँगा/दूँगी और गाइड का कार्य नहीं करूँगा/करूँगी ।
5. यह कि शपथकर्ता को पूर्णतः स्वीकार है कि उपरोक्त घोषणा में किसी भी प्रकार की विसंगति/कूटरचना पाये जाने पर मेरा परिचय पत्र न केवल निरस्त होगा साथ ही साथ मेरे विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही भी की जायेगी ।